न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) पीपाड़ शहर
पीठासीन अधिकारी, डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर R.A.S.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या – 515/2016

प्रार्थीगण :

1. भंवरकंवर पत्नि मांगुसिंह
2. जगदीशसिंह पुत्र मांगुसिंह
3. मोहनसिंह पुत्र मांगुसिंह
4. सुमेरसिंह पुत्र मांगुसिंह

सभी जातियान रावणा राजपूत निवासीगण ग्राम रियां, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

5. मेरूदीन पुत्र इबू खां
6. साबुदीन पुत्र इबू खां

जातियान मुसलमान निवासीगण नाथुनगर सालवा खुर्द, तहसील पीपाड़ शहर जिला जोधपुर ।

बनाम

अप्रार्थीगण :

1. मोहनसिंह पुत्र गुमानसिंह फौत के कायम मुकाम :–

1/1 फेफकंवर पत्नि स्व. मोहनसिंह
1/2 भंवरी कंवर पुत्री मोहनसिंह
1/3 गुलाब कंवर पुत्री मोहनसिंह
1/4 संतोष पुत्री मोहनसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर ।

2. हुकमसिंह पुत्र मोहनसिंह फौत के कायम मुकाम

2/1 पुष्पा कंवर पत्नि हुकमसिंह
2/2 भुपेन्द्रसिंह पुत्र हुकमसिंह
2/3 नीतुकंवर पुत्री हुकमसिंह
2/4 नेपालसिंह पुत्र हुकमसिंह
कम सं. 2/3 व 2/4 नाबालिग जिनकर कुदरती वलिया संरक्षक माता पुष्पाकंवर जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर ।

3. हीरसिंह पुत्र मोहनसिंह फौम के कायम मुकाम

3/1 कमु कंवर पत्नि हीरसिंह
3/2 पूनमसिंह पुत्र हीरसिंह
जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर ।

4. जालमसिंह पुत्र गुमानसिंह फौत के कायम मुकाम

4/1 मूली पुत्री जालमसिंह
4/2 बाया पुत्री जालमसिंह
4/3 दुर्गा पुत्री जालमसिंह
4/4 अमरसिंह पुत्र जालमसिंह
4/5 जितेन्द्रसिंह पुत्र जालमसिंह
सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर ।

5. रूपगकंवर पत्नि प्रेमसिंह
6. पर्वतसिंह पुत्र प्रेमसिंह
7. खिंवसिंह पुत्र प्रेमसिंह
8. करणसिंह पुत्र प्रेमसिंह
9. राज्जन कंवर पुत्री प्रेमसिंह

सभी जातियान राजपूत निवासीगण ग्राग रियां तहसील पीपाड़ शहर।

10. भूमिधारी जरिये तहसीलदार पीपाड़ शहर ।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राज. काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित अधिवक्ता :

श्री मन्सूर अली छीपा प्रार्थी की ओर से
श्री बक्तावरसिंह जाखड़ अप्रार्थीगण की ओर से

ह/
उपखण्ड अधिकारी
पीपाड़ शहर (जोधपुर)

Scanned by CamScanner

निर्णय

दिनांक : 28.06.2019

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– ग्राम रियां तहसील पीपाड़ शहर की राजस्व सीमा में प्रार्थीगण की कृषि भूमि खसरा नम्बर 230/1 रकबा 7 बीघा, खसरा नम्बर 230/10 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/11 रकबा 05 बीघा 14 बिस्वा, खसरानम्बर 230 रकबा 08 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/2 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/3 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/4 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/5 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/6 रकबा 05 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/12 रकबा 03 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/7 रकबा 06 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/8 रकबा 02 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 230/9 रकबा 06 बीघा 10 बिस्वा कृषि भूमि स्थित है जिसे इस प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण की आराजी के रूप से सम्बोधित किया जायेगा । प्रार्थीगण के उपरोक्त सभी खसरा सं. 230 था जो अलग–अलग टुकड़ो में विभक्त हो गया जो वर्तमान में अलग–अलग टुकड़ो में बट्टा नम्बर के रूप में प्रार्थीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड मे उपरोक्त वर्णिता अनुसार इन्द्राज है । प्रार्थीगण ने उक्त आराजी के दक्षिण दिशा की और बाड़ा कलां ग्राम जाने वाली सड़क स्थित है जहां पर प्रार्थीगण के खेत खसरे की अंतिम माठ लगती है । प्रार्थीगण अपनें खेतो में दक्षिण दिशा की और बाड़ा कलां जाने वाली रोड़ से खसरा नम्बर 229 के दक्षिण दिशा की तरफ से होकर अपने खेत खसरा नम्बर 230/1, 230/10, 230/11, 230, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 230/7, 230/8, 230/9, 230/12 में आते जाते है तथा अपना कृषि कार्य करते है व उक्त रास्ते को पीढ़ियो से अपने काम में लेते है । खसरा नम्बर 229 अप्रार्थीगण का है व अप्रार्थीगण ने खसरा नम्बर 229 के दक्षिणी दिशा की ओर से उत्तरी दिशा की तरफ प्रार्थी के खेतो में जाने के एक मात्र रास्ते को कांटो की तारबन्दी से बंद कर दिया व प्रार्थीगण को उनके खेतो में आने जाने से अवरूद्ध कर दिया है जबकि प्रार्थीगण बाड़ा कलां जाने वाली सड़क से होकर अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
(जोधपुर)

Scanned by CamScanner

के खेत खसरा नम्बर 229 की दक्षिणी दिशा से प्रवेश करते हुए अपने खेतो में आते जाते है व रास्ते तक का उपयोग उपभोग अपने कृषि कार्य हेतु आवागमन, वाहनो के आवागमन, व अपने पशुधन के आवागमन के लिए निर्बाध रूप से चिरकाल से करते आ रहे है जिसमें अप्रार्थीगण के पूर्वजो ने कभी किसी प्रकार की रोक टोक बाधा उत्पन्न नही की है । उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण की खातेदारी सुदा आराजी में जाने का अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नही है । इस कारण प्रार्थीगण व उसके परिवार के अपने खातेदारी सुदा खेत खसरो में कृषि कार्य के लिए आवागमन हेतु एक मात्र रास्ता खसरा नम्बर 229 की दक्षिणी सीमा में चलता रहा है । इस कारण प्रार्थीगण को उक्त रास्ते का कानूनी रूप उपयोग उपभोग करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । अप्रार्थीगण ने उपरोक्त रास्ता बंद कर दिया व तारबंदी कर दी अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण ने रास्ता अवरूद्ध नही करने का निवेदन किया लेकिन अप्रार्थीगण नही माने जबकि प्रार्थीगण का एक मात्र वैकल्पिक रास्ता जो कि बाड़ा कलां जाने वाली रोड़ से अप्रार्थीगण के खेत खसरा नम्बर 229 से दक्षिणी दिशा से उत्तरी दिशा की और 30 फिट चौड़ा रास्ता जाता है इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है । इसलिए प्रार्थीगण को यह प्रार्थना पत्र श्रीमान न्यायालय में प्रस्तत करना पड़ रहा है । प्रार्थीगण कानून अनुसार संलग्न ट्रेस नक्शे में दर्शाये प्रस्तावित रास्ते की कीमत नियमानुसार अदा करने को तैयार है इसलिए प्रार्थी को उक्त रास्ता जरिये कानूनी प्रावधान के दिलवाया जाना आवश्यक है । प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्दर म्यिाद है तथा उचित कोर्ट फीस व तलबाना के साथ प्रस्तुत है । लिहाजा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी को संलग्न ट्रेस नक्शे में प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 229 में से दक्षिणी दिशा से उत्तरी दिशा की और 30 फीट चौड़ा राजस्व रेकर्ड में तरमीम कर दिलवाया जावें व अप्रार्थीगण को पांबद किया जावें कि वह खसरा नम्बर 229 में से होकर रास्ते में आने जाने में किसी प्रकार की बाधा दखलन्दाजी उत्पन्न नही करें ।

हमने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जिसमें अप्रार्थीगण सं. 2/2, 4/4, 4/5, 6, 7 की ओर से

उपखण्ड अधिकारी

वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने वकालतनामा प्रस्तुत किया, अप्रार्थीगण सं. 1/1 से 1/4, 2/1, 2/3, 2/4, 3/1, 3/2, 4/1 से 4/3, 5, 8, 9, के सम्मन बाद तामील प्राप्त होने पर भी अनुपस्थित रहने पर उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी । अप्रार्थी सं. 10 फोरमल पक्षकार है । अप्रार्थी सं. 2/2, 4/4, 4/5, 6, 7 की ओर से वकील बक्तावरसिंह जाखड़ ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वादीगण ने अपनी भूमि खसरा नम्बर 230/1, 230/10, 230/11, 230, 230/2, 230/3, 230/4, 230/5, 230/6, 230/12, 230/7, 230/8, 230/9 बतायी जबकि राजस्व ट्रेस नक्शा में प्रार्थीगण की भूमि का तरमीम ही नही है ऐसी सूरत मे जब प्रार्थीगण की वादग्रस्त भूमि के बारे में तरमीम ही नही है तो रास्ता बाबत् मांग नही कर सकते क्योकि प्रार्थीगण की भूमि वहां है । खसरा नम्बर 230 में आने जाने हेतु सदियो से तेतरा नाड़ी में से रास्ता चलता है । प्रार्थीगण नें एकतरफा मौका मुआयना करवाकर तेतरा नाडी की तरफ से चलने वाले रास्तो को भी नही दर्शाया है । प्रार्थीगण द्वारा दर्शाये अनुसार मौके पर किसी प्रकार का कोई रास्ता नही है। प्रार्थीगण शुरू से ही तेतरा नाड़ी की अंगोर में से होकर अपनी जमीन में आते जाते है । खसरा नम्बर 229 में से कोई रास्ता मौजूद नही है । प्रार्थीगण के खेतो में आने जाने हेतु मौके पर खसरा नम्बर 229 में से किसी प्रकार का कोई रास्ता ही नही है तो रास्ता बंद करने का प्रश्न ही पैदा नही होता है । प्रार्थीगण ने सारे तथ्य मिथ्या रूप से अंकित किये है । संलग्न नक्शा में प्रार्थीगण ने मनमर्जी से अप्रार्थीगण की खसरा नम्बर 229 की भूमि को खुर्द बुर्द करने की नियत से मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है । प्रार्थीगण की भूमि में आने जाने हेतु तेतरा वाली नाड़ी की अंगोर से होकर आने जाने हेतु वैकल्पिक रास्ता पीढियो से मौजुद है लेकिन प्रार्थीगण अपनी सुविधा के लिए हम अप्रार्थीगण की बेशकीमती भूमि खुर्द बुर्द करने की बदनयिती से मिथ्या प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसको खर्चा हर्जा सहित खारिज फरमावें । अतः जवाब प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र के पेश कर श्रीमान न्यायालय हाजा से निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र सारहीन मिथ्या, आधारहीन तथ्यो पर आधारित होने से खारिज फरमावें ।

Scanned by CamScanner

इसी प्रकार तहसीलदार पीपाड़ शहर ने मौका कमिश्नर रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि मौके पर खसरा नम्बर 230/1, 230/10 व 230/11 में जाने हेतु मात्र 5 गट्ठा (33 फीट) की दूरी पर प्रार्थी का खसरा नम्बर 230/10 स्थित है । अतः नजरी नक्शे अनुसार रास्ते के लिए 33 X 12 फीट अर्थात् 0.0.09 बीघा (09 बिस्वासी भूमि) अप्रार्थी के खसरा नम्बर 229 से रास्ते हेतु आवश्यकता है । प्रस्तावित रास्ते का रकबा 9 बिस्वांसी है । ग्राम रियां की DLC दर 21772/- रूपये प्रति बीघा है । इस प्रकार रास्ते की कुल कीमत 490 रूपये बनती है । जिसकी दूगुनी राशि 980 रूपये बनती है ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस वकुलाय सुनी गयी । पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजो, जबाब अप्रार्थीगण एवं तहसीलदार पीपाड़ शहर की मौका क़मिश्नर रिपोर्ट अनुसार ग्राम रियां के ख.न. 230/1, 230/10 तथा 230/11 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 229 में से दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर सबसे नजदीकी रास्ता हैं जो दिया जाना प्रस्तावित किया है।

अतः प्रार्थीगण के खेत ख.न. 230/1, 230/10 तथा 230/11 में आने जाने हेतु अप्रार्थी के खेत ख.न. 229 के दक्षिण दिशा से उत्तर दिशा की ओर प्रस्तुत कश्मिनर रिपोर्ट में दर्शायें लाल स्याही से दर्शाये रास्ते की 0.0.09 बीघा (09 बिस्वांसी) भूमि रास्ते के उपयोग हेतु घोषित की जाती है। ग्राम रियां के ख.न. 229 भूमि की मालियत अनुसार प्रति बीघा कीमत 21772/- रू है। रास्ते के क़ाम आई भूमि 0.0.09 (09 बिस्वांसी) भूमि की किमत 490 रू बनती है। जिसकी नियमानुसार दुगनी कीमत 980 रू बनती है। मौका क़श्मिनर रिपोर्ट,मौका फर्द व नजरी नक्शा निर्णय का अंग समझा जावें। तहसीलदार पीपाड़ शहर को आदेश दिया जाता है कि प्रार्थीगण से 980/- रू का चैक/डीडी प्राप्त कर अप्रार्थीगण जिनकी भूमि रास्ते के उपयोग में ली गयी उन खातेदारो को भुगतान करें एवं रास्ते की भूमि की तरमीम कर रास्ता खुलवाया जावें। इस आशय की तहरीर तहसीलदार पीपाड़ शहर के नाम जारी हो खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

निर्णय आज दिनांक 28.06.2019 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

(डॉ. लक्ष्मी नारायण बुनकर)
सहायक कलक्टर (SDO)
पीपाड़ शहर

Scanned by CamScanner